

131



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वा लियर

प्रकरण क्रमांक:

12017 निगरानी

1/ निगरानी | इतरपुर | भूभाग 2017/6344

1- टैडा उपर मरीसा

2- खुवा

3- दालता

पुत्रगण मधुक् काही

निवासीगण ग्राम

सुहारा तैहसील धुवारा

जिला इतरपुर-मध्यप्रदेश

----- प्रार्थीगण

बिराध

1- हीरावाई पत्नी हरिया

2- पाला

3- जनकी

4- रामा

5- यशोदा

6- पुष्पा

पुत्रियां हरिया काही

7- कन्हैया पुत्र दमरा काही

8- हरिराम

9- जाना

10- जुम्न

पुत्रगण सूदा काही

11- रामरतन पुत्र सरिया काही

12- गालू पुत्र सरिया काही (नावा लिंग)

समस्त निवासीगण ग्राम सुहारा तैहसील धुवारा, जिला इतरपुर (मध्यप्रदेश)

-----प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी बिराध आदेश एस०डी०जी० महादय बहामलहरा,

जिला इतरपुर दिनांक 12-12-17, अन्तर्गत धारा 10 मध्यप्रदेश

पू-राजस्व संहिता 1956। प्र०क्र० 18/18-17 अपील ।

श्री एस०के० कर्माचारि
द्वारा आज दि 28/12/17
प्रस्तुत। प्रारम्भिक कार्य हेतु
दिनांक 16-1-18 नियत।

28/12/17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

Moted.
16/1/18

2-49796

3

श्रीमान जी,



निगरानी का आवेदनपत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

1- यह कि एस०डी०जी० महादय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक I/निगरानी/छतरपुर/भू0रा0/2017/6344

टेड़ा उर्फ भरोसा आदि विरुद्ध हीराबाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री एस0के0 अवस्थी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बड़ामलहरा जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 14/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 01-12-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p></p> <p> (आर0के0 जैन) सदस्य</p>	